न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 96/2018

अपीलान्ट **बनाम** **रेस्पोडेन्ट :–**

1. श्रीमती प्यारीदेवी पत्नी पुखाराम
2. सुजाराम पुत्र राईंगराम
3. जीताराम पुत्र राईंगराम
4. तीजादेवी पुत्री राईंगराम
5. पोकरराम पुत्र दौलाराम
6. रूपाराम पुत्र दौलाराम
7. सुजाराम पुत्र पुखाराम
8. मोतीलाल पुत्र भूराराम
9. केवलराम पुत्र भूराराम
10. डायाराम पुत्र लुम्बाराम
11. चौथाराम पुत्र लुम्बाराम
12. लालाराम पुत्र लुम्बाराम
13. जीताराम पुत्र मोतीराम
14. देवाराम पुत्र कानाराम
15. पोकरराम पुत्र कानाराम
16. तुलसाराम पुत्र नवलाराम
17. टोयाराम पुत्र केसाराम
18. वेनाराम पुत्र डायाराम
19. मिश्रीलाल पुत्र डायाराम
20. शेषाराम पुत्र डायाराम
21. तिलोकराम पुत्र मगनाराम
22. भुण्डाराम पुत्र मगनाराम
23. अचलाराम पुत्र मगनाराम
24. मांगीलाल पुत्र टोयाराम जातिगण सीरवी निवासीगण बेरा रामसागर कण्टालिया तहसील मा0 जं0

1. घीसाराम पुत्र नवलाराम जाति सीरवी निवासी बेरा रामसागर, कण्टालिया
2. अधिशाषी अभियन्ता, जो.वि.वि.नि.लि. सोजत सिटी
3. सहायक अभियन्ता, जो.वि.वि.नि.लि. सोजतरोड़
4. जस्साराम पुत्र पुखाराम
5. दीपाराम पुत्र पुखाराम
6. नेमाराम पुत्र पुखाराम
7. नौजीदेवी
8. भंवरीदेवी
9. कमलीदेवी
10. मिश्रीदेवी
11. सनकी देवी
12. काली देवी पुत्रियां पुखाराम
13. दुर्गाराम पुत्र दौलाराम
14. चौथाराम पुत्र दौलाराम
15. मंगलीदेवी पुत्री दौलाराम
16. मंगलीदेवी पुत्री पुकाराम
17. लखाराम पुत्र भूराराम
18. नारायणलाल पुत्र पुखाराम
19. बादरराम पुत्र पुखाराम
20. गोगीदेवी पुत्री मगनाराम
21. घीसीबाई पुत्री लुम्बाराम
22. जमनी देवी पुत्री लुम्बाराम
23. भंवरीदेवी पत्नी सोनाराम
24. दीपाराम पुत्र रुघाराम
25. लखाराम पुत्र पुखाराम
26. शेषाराम पुत्र पुखाराम
27. हीराराम पुत्र चोलाराम
28. खरताराम पुत्र थानाराम
29. चुन्नीलाल पुत्र भोमाराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

30. घेवरराम पुत्र भोमाराम
31. जीताराम पुत्र मोतीलाल
32. खीवाराम पुत्र जोधाराम
33. जमनीदेवी पत्नी केसाराम
34. डगरी देवी (मृतक) (Syombolic Party)
35. मीरादेवी पुत्रियां डायाराम
36. चेनाराम
37. केवलराम पि0 पुनाराम
38. भीखीदेवी पुत्री पुनाराम
39. जस्साराम पुत्र धन्नाराम
40. भंवरीदेवी पत्नी जोगाराम
41. मेनादेवी
42. मंजु देवी
43. ज्योति पुत्रियां जोगाराम
44. भोलाराम पुत्र लुम्बाराम
45. घीसाराम पुत्र पाबुराम
46. नानकराम पुत्र मगाराम
47. भुण्डीदेवी पुत्री मगाराम
48. भूरीदेवी पत्नी मगाराम
49. उदाराम पुत्र गमनाराम
50. खींवाराम दत्तक पुत्र पुखाराम तमाम जातिगण सीरवी निवासीगण बेरा रामसागर, कण्टालिया
51. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री भुण्डाराम चौधरी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री जगदीशसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1

श्री भुण्डाराम चौधरी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से 33 व 35 से 50

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

–: निर्णय :–

दिनांकः– 17.1.19

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

मारवाड़ जंक्शन द्वारा राजस्व वाद संख्या 17/2014 घीसाराम बनाम अधिशाषी अभियन्ता जो0वि0वि0नि0लि0, सोजत सिटी वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.10.2018 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जैर अपील विवादित आराजी के सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 88, 188 के तहत वाद प्रस्तुत किया। प्रकरण में अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट्स ने राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प कण्टालिया में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर वाद को जरिये राजीनामा डिक्री कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31.05.2017 को कैम्प कण्टालिया में जैर अपील विवादित आराजी का नाप चौक कर वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से एवं मौके की स्थिति अनुसार अलग अलग खसरा नम्बर एवं लगान तथा रास्तों का निर्धारण कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन को आदेश दिए। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा न तो मौका निरीक्षण किया गया एवं न ही मौके पर विभाजन प्रस्ताव बाबत रिपोर्ट तैयार की। जिस भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कब्जा काश्त भी नहीं था, वह भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में रखी गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलाण्ट की ओर से दिनांक 14.09.2018 को उक्त रिपोर्ट पर आपत्ति व्यक्त की, जिसका कोई निस्तारण किए बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जो विधि विरूद्ध हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी थानाराम की मृत्यु 1 वर्ष पूर्व हो चुकी थी, उसके का0मु0 को पक्षकार बनाए बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक के विरूद्ध डिक्री पारित की है, जो अपने आप में शून्य प्रभावी है। जैर अपील विवादित आराजी में से खसरा नम्बर 140 की भूमि को कुर्क कर रखा है, जिसके रिसीवर तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन है। जब तक कुर्कसुदा आराजी के सम्बन्ध में विवाद का अन्तिम निस्तारण नहीं हो जाता, तब तक उक्त भूमि का विभाजन नहीं हो सकता है, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त भूमि का जैर अपील निर्णय एवं डिक्री के जरिये विभाजन किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों के परे जाते हुए जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जो विधि विरूद्ध हैं। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त कराते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रकरण में पक्षकारान् द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया है, जिस पर प्राथमिक डिक्री पारित की गई है। उक्त प्राथमिक डिक्री पर तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। चूंकि जैर अपील निर्णय एवं डिक्री आपसी राजीनामा के आधार

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पर पारित की गई है, जिसकी अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज़ योग्य है। अतः अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि जैर अपील विवादित आराजी अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स की सह खातेदारी भूमि है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि का विभाजन कराने एवं पृथक पृथक खातेदारी घोषित कराने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रसतुत किया, जिसमें राजस्व लोक अदालत कैम्प कण्टालिया में पक्षकारान् ने उपस्थित होकर आपसी सहमति से राजीनामा प्रस्तुत कर जैर अपील विवादित आराजी का पक्षकारान के हक हिस्से एवं मौके की स्थिति अनुसार नाप चौक कर अलग अलग खसरा नम्बर व लगान तथा रास्तों का निर्धारण करते हुए प्राथमिक डिक्री पारित कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांकं 31.05.2017 को प्रकरण में प्राथमिक डिक्री पारित कर तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन को विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया, वह भू0अ0नि0 द्वारा तैयार किया गया है, जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 के अनुसार उक्त विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार किया जाना आज्ञापक है। राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 20 में सक्षम न्यायालय की वाद में दी गई डिक्री द्वारा जोत का विभाजन करने का प्रावधान निम्न प्रकार है – S..20 of RAJASTHAN TENANCY (Revenue Board) Rules, 1955 - 20 DIVISION OF HOLDING BY DECREE.

Same as provided in Rule 19 in a division of holding by the decree or order of a competent court passed in a suit by one or more of the co-tenant for the purpose of dividing the holding the distributing the rent thereof over the several portions into which it is divided the following principles shall be observed:-

(a) The valuation of the portion allotted to each party shall be proportionate to his share in the holding.

(b) The portion allotted to each party shall be as compact as possible.

(c) As far as possible, no party shall be given all the inferior or all the superior quality of land.

(d) As far as possible, existing fields shall not be split up.

(e) Plots which are in the separate possession of a tenant shall, as far as possible, be allotted to the tenant, if they are not in excess of his share.

Division of Holding by Agreement or by Order of Court"

नियम 21 में नक्शा बनाना और उपविभाजित खेतों का अंकन करने का प्रावधान इस प्रकार है कि "तहसीलदार नक्शा बनाएगा और उसे अभिलेख पर रखेगा, जिसमें प्रत्येक पक्षकार को दिया गया भूखण्ड अलग–अलग रंगों से दिखाया जायेगा और किसी खेत को उपविभाजित कियागया है, तो वह पक्षकारों के खर्चे पर उनके भाग को चिन्हित/अंकित करेगा।" हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया जाकर भू0अ0नि0 से तैयार रिपोर्ट को ही अग्रेसित किया है, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया है। इसी सन्दर्भ में माननीय

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

राजस्व मण्डल की मुख्य पीठ द्वारा आर0आर0डी0 2017 पेज 679 में निम्न अभिमत प्रकट किया है –

> Rajasthan Tenancy (Revenue Board) Rules, 1955, Rules 18 to 21 - Reference - Preparation of proposal for division by Tehsildar - Question for consideration is whether under Rules 18 to 21 of Rajasthan Tenancy (Board of Revenue) Rules, , 1955, proposal for division to be prepared by Tehsildar is mandatory or Tehsildar may sub-delegate his administrative power in respect of preparation of proposal for division - Held, it is mandatory for Tehsildar that he himself inspect site and prepare proposal for division of holdings - He may entrust ministerial work to its subordinate Naib Tehsildar, ILR or Patwari etc., for preparation of map and demarcation of sub-divided field and filing of colours - Imperative upon Tehsildar that he himself prepare report under his seal and signature, he can not forward report prepared by ILR, Patwari and draftsman without application of his mind - Directions to SDO to ensure that report submitted before him prepared by Tehsildar as per law and if report not prepared by Tehsildar himself then SDO to return it to Tehsildar for preparation of report - Direction to Registrar, Board of Revenue to send copy of judgment to all concerned for compliance and action.

उपरोक्त न्याय निर्णय से यह स्थिति प्रकट होती है कि नियम 18 से 21 में जो प्रावधान प्रदत्त है, उसके अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार ही अधिकृत है, भू0अ0नि0 द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट विधिक प्रावधानानुसार नहीं है। तद्नुसार हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू0अ0नि0 एवं पटवारी हल्का द्वारा तैयार किए गए विभाजन प्रस्ताव के आधार पर जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है, जो विधिक प्रावधानों के विपरित होने से समर्थन योग्य नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) मारवाड़ जंक्शन द्वारा राजस्व वाद संख्या 17/2014 घीसाराम बनाम अधिशाषी अभियन्ता जो0वि0वि0नि0लि0, सोजत सिटी वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.10.2018 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त Observation के आधार पर प्रकरण में जांच कर पक्षकारान् को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में मृतक खातेदारान् के विधिक वारिशान को पक्षकार संयोजित कर विवादित आराजी के सम्बन्ध में विचाराधीन विवाद आदि को दृष्टिगत रखते हुए समस्त तथ्यों का विधिक परीक्षण कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की सत्य प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.1.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली